राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जवाहरलाल नेहरू मार्ग–जयपुर–302 017 (राजस्थान)
दूरभाष 0141-2704950-56 फैक्स 0141-2705420, 2702542
web: www.hcmripa.gov.in

क्रमांक: 8280–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक: 31.10.2011

समस्त जिला कलेक्टर्स
राजस्थान

महोदय,

राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 दिनांक 14 नवम्बर 2011 से राज्य में प्रभावी हो जाएगा । इस अधिनियम के जरिये आम जनता को मुहैया करवाये जाने वाली 108 सेवाओं को सुनिश्चित तौर पर प्रदान किये जाने की दिशा में सरकारी स्तर पर आवश्यक तैयारियों एवं इस कार्य में आने वाली बाधाओं पर सकारात्मक चर्चा तथा सम्बंधित अधिकारियों के प्रभावी प्रशिक्षण का मार्ग प्रशस्त करने के उद्धेश्य से प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को एक एक–दिवसीय राज्य स्तरीय आमुखिकरण कार्यक्रम किया जाना निर्देशित है। कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तथा इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव महोदय द्वारा किया जाना सम्भावित है ।

इस कार्यक्रम में समस्त जिलों के अधिकारीगण तथा अधिनियम द्वारा सम्मिलित सेवाओं के उच्च स्तरीय अधिकारीगण हिस्सा लेंगे । उद्धेश्य यह है कि जिला स्तर से आने वाले अधिकारी प्रस्तावित आमुखीकरण के पश्चात् जिलों में अधिसूचित सेवाओं से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित कर सके ।

अतः अनुरोध है कि जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् तथा एक अन्य जिला स्तरीय अधिकारी को उक्त कार्यक्रम में

सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करें । उपयुक्त होगा कि ऐसे जिला स्तरीय अधिकारियों को नामित किया जावे जो राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 द्वारा अधिसूचित प्रमुख सेवाओं से संबंधित हों तथा जिला स्तर पर अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण संचालित करने में सक्षम हों ।

कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि नामित अधिकारी कार्यक्रम में आने से पूर्व राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचित नियम तथा उक्त प्रयोजनार्थ अधिसूचित सेवाओं की सूची का भली भांति अध्ययन कर लें ताकि वे कार्यक्रम में सकारात्मक सहभागिता निभा सकें । उक्त अध्ययन हेतु राज्य सरकार की वेबसाइट "राज दर्पण" (rajasthan.gov.in) से संदर्भ सामग्री डाउनलोड की जा सकती है ।

उक्त कार्यक्रम दिनांक 4 नवम्बर 2011 को प्रातः 10.00 से सायं 06.00 बजे तक ह.च.मा.रीपा, जयपुर के नेहरू भवन स्थित भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित किया जाएगा ।

उक्त कार्यक्रम के संबंध में किसी भी जानकारी हेतु श्री मुकेश कुमार शर्मा, उप निदेशक (प्रशासन) सम्पर्क अधिकारी (दूरभाष संख्या 0141–2704950, मो.नं. 98290–41441, e-mail: mukeshsharma@lbsnaa.ernet.in) रहेंगे ।

भवदीय,

(चन्द्र मोहन मीना)
महानिदेशक, ह.च.मा.रीपा एवं
प्रमुख शासन सचिव (प्रशिक्षण)